न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 635 / 2022

अनवान : –

1. कृष्णा देवी पुत्री मनफूल (पत्नी ओमप्रकाश) जाति जाट निासी कालवाना तहसील डबवाली जिला सिरसा।

– **वादीया**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखसर तहसील नोहर के खाता स0 195 / 89 की कुल 12.2930 हैक्ट भूमि में से 3073 / 12293 हिस्सा भमि एवं रौही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 195 / 94 की कुल 5.1470 हैक्ट भूमि में से 1012 / 5147 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्र हरदत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे मृतक मनफूल पुत्र हरपत के नाम दर्ज है जो की वादीया का पिता है। मनफूल पुत्र हरपत का देहान्त हो चुका है। वादीया के भाई छोटूराम का भी अविवाहित देहान्त हो चुका है। उसके बाद वादीया एकमात्र अपने पिता की वारिस है। उक्त दोनों खातों की भूमि में वादीया काबिज है।उपरोक्त कृषि वादीया के पुत्र कृष्ण पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज है तथा वादीया के पुत्र कृष्ण का दिनांक 19.12.2021 को (अविवाहित ला–ओलाद) स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के कारण से अपने पिता मनफूल के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार [illegible] हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई [illegible] मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणि[illegible] प्रतिलिपी जमाबंदी [illegible] 2075–78 रोही मौजा लाखासर खाता स0 195 / 89 व जमाबंदी रोही मौजा रायसिंहपुरा खाता स0 195 / 194,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:04 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
नोहर

शपथ पत्र द्वारा वादीया, सरपंच ग्राम पंचायत दलपतपुरा द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र निको, मृत्यु प्रमाण पत्र मनफूल तथा मृत्यु प्रमाण पत्र धोलूराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादी के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादीया के के पिता मनफूल के नाम दर्ज है तथा वादीया के पिता मनफूल कास्वर्गवास हो चुका है एवं वादीया के भाई छोटूराम का भी अविवाहित देहान्त हो चुका है। इसलिए वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के कारण से अपने पिता मनफूल के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा लाखसर तहसील नोहर के खाता स0 195/89 की कुल 12.2930 हैक्ट भूमि में से 3073/12293 हिस्सा भमि एवं रौही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 195/94 की कुल 5.1470 हैक्ट भूमि में से 1012/5147 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया ने कथन किया है कि उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादीया के के पिता मनफूल के नाम दर्ज है तथा वादीया के पिता मनफूल का स्वर्गवास हो चुका है एवं वादीया के भाई छोटूराम का भी अविवाहित देहान्त हो चुका है। इसलिए वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के कारण से अपने पिता मनफूल के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। वादीया ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र बहक मनफूव छोटूराम पेश किये। वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सरंपच ग्राम पंचायत दलपतपुरा के अनुसार मनफूल के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। पेरोकार राज ने निवेदन किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है। अतः वाद वादीया मुताबिक अनतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखसर तहसील नोहर के खाता स0 195/89 की कुल 12.2930 हैक्ट भूमि में से 3073/12293 हिस्सा भमि एवं रौही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के [illegible] कुल 5.1470 हैक्ट भूमि में से 1012/5147 हिस्सा भूमि मनफुल [illegible] रिकार्ड है, में मनफुल पुत्र हरदत का नाम कलमजन किया [illegible]तेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इ[illegible]य प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 635 / 2022

अनवान : –

1. कृष्णा देवी पुत्री मनफूल (पत्नी ओमप्रकाश) जाति जाट निासी कालवाना तहसील डबवाली जिला सिरसा।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 635 सन 2024 निर्णय दिनांक 04/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखसर तहसील नोहर के खाता स0 195 / 89 की कुल 12.2930 हैक्ट भूमि में से 3073 / 12293 हिस्सा भमि एवं रौही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 195 / 94 की कुल 5.1470 हैक्ट भूमि में से 1012 / 5147 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्र हरदत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मनफुल पुत्र हरदत का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:04 IST
Reason: SelfAttested